न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–मंदसौर

1- रामचन्द्र पुत्र श्री नन्दराम जी
2 रमेशचन्द्र पुत्र भगवान
निवासीगण-- हजारी रोड, बस स्टेण्ड के पास, मंदसौर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला- मंदसौर
अनन्तराव पुत्र श्री मल्हार राव (मृतक)
द्वारा वैधिक वारिसान
2— श्रीमती पुष्पाबाई बेवा अनन्तराव
3- दीपक कुमार पुत्र स्व. अनन्तराव
4- सुधीर कुमार पुत्र स्व. अनन्तराव
5-- सुषमा पुत्री स्व. अनन्तराव
निवासीगण-- मंदसौर, जिला - मंदसौर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार मंदसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/ए–68/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, कस्बा मंदसौर में भूमि सर्वे क्रमांक 937 रकबा 0.272, सर्वे क्रमांक 938 रकबा 0.052, सर्वे क्रमांक 939 रकबा 0.042, सर्वे क्रमांक 2787 रकबा 0.282, सर्वे क्रमांक 2788 रकबा 0.021, सर्वे क्रमांक 2789 रकबा 0.209, सर्वे क्रमांक 2790 रकबा 1.136 आरी में स्थित है। यह भूमि पूर्व में अनन्तराव पुत्र मल्हार राव दक्षिणी ब्राह्मण, निवासी– मंदसौर की कृषि भूमि थी व उसके द्वारा इस कृषि भूमि को मृतक नन्दराम का बहैसियतकर्ता कुटुम्ब लगान रुपये 150/– से कृषि करने का एक वर्ष से अधिक समय के लिये संवत 2015 में दी थी। तब से मृतक नन्दराम की मृत्यु होने तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर मृत नन्दराम व रमेशचन्द्र कृषि करके आधिपत्य चला आ रहा है। अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा कभी भी भूमि का आधिपत्य नहीं लिया गया। इस भूमि पर मध्यप्रदेश शासन व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का या किसी अन्य का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। इस भूमि पर आवेदकगण कृषि कर रहे हैं एवं इसी भूमि पर बने मकान में निवास कर रहे हैं। इसमें टेलीफोन, नल, विद्युत कनेक्शन आदि निरन्तर चले आ रहे हैं।

XXXIX(a)BR(H)-11

153

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 3561–एक / 12 जिला – मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–6–14	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं है । 2– प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । प्रकरण के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मंदसौर के निर्णय दिनांक 22–8–12 के परिपालन में कार्यवाही की जाकर राजस्व निरीक्षक को कब्जा लेने के आदेश दिए गए । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा कस्बा मंदसौर स्थित श्री पंढरीनाथ मंदिर की भूमियों का कब्जा शासन पक्ष में प्राप्त किया जाकर मौजा पटवारी को दे दिए जाने के आधार पर प्रकरण समाप्त किया है गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा० सदस्य	